RGHS : Raj. Govt Health Scheme ①

Notification dated 9.4.21

1. **केशलेस योजना** – इनडोर व आउट डोर दोनों हेतु। परिवार के लिये।
2. **योजना में सम्मिलित** – मिनिस्टर्स, आई ए एस, एम एल ए-एक्स एम ए ले, कार्यरत/सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी, कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारी एवं पेन्शनर्स/फैमिली पेन्शनर्स। स्वायत्तशासी संस्थान, बोर्ड, निगम आदि।
3. **योजना में अंशदान** : राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (अभी निर्धारित नहीं हुआ है)।
4. **पुरानी स्कीम/पुराने नियमों में वर्णित मेडीकल सुविधा का लाभ** : सभी मेडीकल सुविधाओं का लाभ मिलेगा तदानुसार सम्बन्धित केटेगिरी के नियमों में संशोधन किया जायेगा। जैसे पेन्शनर हेतु Raj. State Pensioners Concession Scheme, 2014 में वर्णित सुविधाओं को इस नयी योजना में कवर किया जायेगा। तदानुसार सभी सम्बन्धित नियमों में संशोधन किया जायेगा।
5. **5 लाख तक केशलेस इलाज** : प्रति वर्ष 5.00 लाख तक का इलाज केशलेस – फैमिली फ्लोटर आधार पर (Family Floater Basis)।
6. **5 लाख से ऊपर के खर्च बाबत** : उक्त 5.00 लाख से ऊपर का खर्च होता है तो (प्रतिवर्ष) हास्पिटिलीइजेशन की स्थिति में (सरकारी या प्राइवेट अधिकृत हास्पीटल में) में बहुत गम्भीर बीमारियों हेतु Catastrophic illness के मामलों में देयता।
7. **फैमिली फ्लोटर आधार** – पूरे परिवार (नियमानुसार परिवार की परिभाषा में आने वाले) हेतु सिंगल वार्षिक बीमा प्रीमियम देना तथा वार्षिक

रूप से परिवार के एक व्यक्ति पर मानाकि एक लाख व्यय (केशलेस) हुआ है तो परिवार के अन्य सदस्य शेष 4.00 लाख तक का लाभ उस विशिष्ट वर्ष में ले सकते हैं।

8. Catastrophic illness : गम्भीर बीमारी जिसमें लम्बे समय तक अस्पताल में रहने या ठीक होने में समय लगता हो जैसे कैंसर, ल्युकोमिया, हृदयघात आदि।

9. इलाज कहां ले सकेंगे (कैशलेस) : सरकारी अस्पताल, अधिकृत अस्पताल, पीपीपी हास्पीटल, रेफरल हास्पीटल (सक्षम अधिकारी के सन्दर्भ करने पर)। इनमें कैशलेस इलाज होगा तथा कोई पुनर्भरण नहीं होगा।

10. गैर अनुमोदित हास्पीटल में इलाज (पुनर्भरण होगा) : गम्भीर आपात स्थिति (grave emergency) एवं exceptional Circumstances में गैर अनुमोदित (Un-approved) में इलाज ले सकेंगे जिसका RGHS Portal पर बिल प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण होगा।

11. जो इलाज योजना में शामिल नहीं उनका पुनर्भरण नहीं होगा — ऐसे आइटम का विवरण पर RGHS वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

12. योजना में एनरोलमेन्ट की प्रक्रिया (आनलॉइन ही फार्म भरा जाना है) — उक्त बिन्दु 2 में शामिल सभी वर्ग के व्यक्ति/लाभार्थी 10.4.21 से 30.4.21 तक Website: www.rghs.gov.in पर निर्धारित फार्म में आश्रितों सहित एनरोलमेन्ट आवश्यक रूप से करवायेंगे। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि आगे सक्षम अधिकारी बढ़ा सकता है। नयी नियुक्ति वाले के लिये यह अवधि कार्यभार करने से तीन माह है।
(उक्त वेबसाइट आज दिनांक 10.4.21 को 1.30 को तक उपलब्ध नहीं हुई)।

13. 31.5.21 तक कार्ड डिलीवर होंगे (कार्ड हास्पीटल में बताना होगा) — राज्य प्रावधायी एवं बीमा विभाग इस योजना का नोडल अधिकारी होगा तथा दिनांक 31.5.21 तक (फार्म प्राप्त होने पर) RGHS Card लाभार्थी को डिलीवर होगा। कार्ड नं. वेबसाइट पर अधिसूचित भी होगा।

14. कार्ड का अनुपलब्धता / मिसप्लेस होने पर :- यूनिक आर जी एच एस कार्ड नम्बर के आधार इलाज लिया जा सकता है।

15. हास्पीटल्स / अधिकृत हास्पीटल्स, ई फार्मा स्टोर्स, लेबोरेट्रीज, डाइग्नोस्टिक केन्द्र, इमेजिंग केन्द्र की सूची। — राज्य सरकार अधिकृत करेगी एवं यह सूची www.rghs.gov.in पर उपलब्ध करवायी जायेगी।

16. योजना लागू करने सम्बन्धी नियम, गाइडलाइन, परिपत्र आदि — वित्त विभाग योजना की क्रियान्विति हेतु विस्तृत गाइडलाइन, नियम, परिपत्र, परिशिष्ट, स्पष्टीकरण जारी करेगा (अभी जारी नहीं हुए हैं)।

17. GFSAR तथा Treasury Rules में संशोधन — इन नियमों में पूर्व अधिसूचित RPMF/RSMCS के स्थान पर RGHS संशोधित कर दिया गया है तथा सब सरकारी कर्मचारी राज. पेन्शनर मेडीकल फण्ड (RPMF) में अंशदान के स्थान पर अब नयी योजना RGHS (राज. गोवर्मेन्ट हेल्थ स्कीम) में समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार अंशदान देगा।

18. पेन्शनर को कितना प्रीमियम देना होगा? → अभी तय नहीं हुआ है।

19. योजना का संचालन → SIPF विभाग नोडल एजेन्सी, सरकार TPA (थर्ड पार्टी एजेन्सी) बीमा एवं क्लेम हेतु नियुक्त करेगी तथा अपीलेट अथोरिटी वित्त विभाग का ACS/PS(F) होगा।

टिप्पणी :- उक्त योजना का यह केवल प्रारम्भिक आदेश है। अभी प्रभावी वर्तमान नियमों में संशोधन होना है तथा गाइडलाइन/नियमादि/अस्पतालों की सूची/समान्य इलाज की सूची जारी होनी है।

- रजिस्ट्रेशन दिनांक 10.4.21 से प्रारम्भ करना बताया है परन्तु www.nghs.gov.in वेबसाइट अभी नेट पर उपलब्ध ही नहीं है
- योजना प्राथमिक रूप से ठीक ही लग रही है फिर भी सम्पूर्ण आदेश/संशोधन/बीमा कवरेज/प्रीमियम आदि सम्बन्धी आदेश सामने आने के बाद ही आगे कोई आपत्ति या अन्य अपेक्षित कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

—के० सी० टेलर